न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—204/2019/225 (2019/00204)

1. नौरत पुत्र सुरज उम्र 19 वर्ष पत्नि सुरज,
2. बनवारी पुत्र सुरज उम्र 9 वर्ष नाबालिग जरिये सरंक्षिका माता गंगा पत्नि सुरज,
3. पप्पू पुत्र पेमाराम,
4. चैनाराम पुत्र पेमाराम,
5. रायचन्द पुत्र पेमाराम,
6. रामराज पुत्र पेमाराम,
7. कोकल पुत्री पेमाराम,
8. मनराज पुत्री पेमाराम,
9. कमला पत्नि पेमाराम,

समस्त जाति गुर्जर, निवासी ग्राम पडासोली हाल निवासी मोरडा, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

अपीलांटस

बनाम

1. रामलाल पुत्र रामनारायण, जाति गुर्जर, निवासी पडासौली, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
2. तहसीलदार, दूदू जिला जयपुर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू दिनांक 14.3.2019 अंतर्गत प्रकरण संख्या 16/2019.

उपस्थितः—

1. श्री बी0एल0शर्मा, वकील अपीलांटस ।
2. श्री राजेन्द्रसिंह, वकील रेस्पो0 संख्या 1.

निर्णय

दिनांकः— 24.9.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू के आदेश दिनांक 14.3.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. रेस्पो0 संख्या 1/प्रार्थी के द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष दिनांक 14.3.2019 को अंतर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 जा0दी0 प्रस्तुत कर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा राजस्व कैम्प पडासौली में दिनांक 20.6.2018 को उनवानी वाद खारिज किया जा चुका है । न्यायालय द्वारा दिनांक 28.3.2018 की तारीख नियत थी । पक्षकारान की तलबी कायम मुकामान की नहीं हुई थी । इसलिये कैम्प कोर्ट से कोई सरोकार नहीं था। न्यायालय द्वारा अधिवक्ता वादी को अवगत कराया था कि राजीनामा की पत्रावलियां ही कैम्प कोर्ट में जायेगी । अधी0न्याया0 ने दिनांक 20.6.2018 को वाद खारिज कर दिया । आराजी भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा उक्त भूमि खसरा नंबर 485 हाल खसरा नंबर 495 ग्राम पडासौली को दिनांक 29.6.1991 को पांच रूपये के स्टाम्प पर 11,500/--रू0 में खरीदकर कब्जा प्रापत किया था जिसका विक्रय पत्र पर प्रार्थी के हक में तस्दीक नहीं करवाया जो अप्रार्थी के खाते में चली आ रही है । स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अधी0न्याया0 में राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु एवं रहन बेय, मुन्तकिल नहीं करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया किन्तु अधी0न्याया0 द्वारा बिना सुने एकतरफा मे अपीलांट/अप्रार्थी को मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेश पारित कर दिये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 में प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 जा0दी0 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें जब तक मूल वाद पुनः नंबर पर नहीं आ जाता प्रभावी आदेश एवं स्थगन आदेश कानूनन जारी नहीं किया जा सकता था । अधी0न्याया0 ने विधि की भारी भूल करते हुए बिना वाद विचाराधीन रहते स्थगन आदेश पारित किया है जो न्याय, नियम एवं कानून के विपरीत होने से निरस्तनीय है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप राजस्व न्यायालय द्वारा राज0काश्त0अधि0 के प्रभावी रहते क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर सिविल प्रकिया संहिता के तहत एकतरफा स्थगन आदेश पारित नहीं किया जा सकता था । राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 212 के तहत मौके की यथास्थिति बनाये रखने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है । प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा दिनांक 20.9.1991 को विवादित भूमि क्रय करना दर्शाते हुए विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवाने से इंकार होने के तथ्य दर्ज कर अधी0न्याया0 से स्थगन प्राप्त किया है जबकि राज0काश्त0अधि0 की धारा 207 के तहत विशिष्ट अनुपालना हेतु वाद एवं स्थगन का राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है । अधी0न्याया0 ने उपरोक्त तथ्य को नजरअदांज कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर कथन किया कि अधी0न्याया0 के आदेश दिनांक 14.3.2019 की जानकारी प्रार्थी को नहीं हो सकी क्योंकि अधी0न्याया0 द्वारा एकतरफा में स्थगन जारी किया गया है । प्रार्थी द्वारा अपने पिता के विरासत नामांतकरण खुलवाने हेतु दिनांक 28.5.2019 को पटवार हल्का को सजरा एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर राजस्व रिकार्ड में स्थगन का इंद्राज प्रथम बार देखने पर इल्म व जानकारी हुई । तत्पश्चात् दिनांक 31.5.2019 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर उक्त अवैधानिक आदेश के विरूद्ध जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है ।

अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविव है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । विवादित आराजी खतौनी संख्या 140 के आराजी खसरा नंबर 485 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम पडासौली तहसील मौजमाबाद में स्थित है जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थी दोनों का छीतर व लक्ष्मण, लाला के साथ 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है लेकिन मौके पर विवादित आराजियात में अप्रार्थी का किसी प्रकार से कोई कब्जा काश्त व हिस्सा नही है । विवादित आराजी खसरा नंबर 485 के वर्तमान खसरा नंबर 495 रकबा 2.83 है0 बने है जिसमं प्रार्थी एवं अप्रार्थी का 2/10 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है । प्रार्थी के हक में अप्रार्थी ने दिनांक 29.6.1991 को एक स्टाम्प 5/–रू0 पर उक्त आराजी में जर्द हिस्सा की आराजी को प्रार्थी के हक में 11,500/–रू0 प्राप्त कर मौके पर कब्जा संभला दिया था । उक्त आराजी के साथ ही हरडा वाली आराजी का भी प्रार्थी/रेस्पो0 को विक्रय कर दिया था जिसका विक्रय पत्र प्रार्थी के हक में अप्रार्थी ने तस्दीक करवा दिया लेकिन उक्त आराजी वर्तमान में अप्रार्थी/अपीलांट के खाते में चली आ रही है । पूर्व में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 को अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 2.7.2016 को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण/अपीलांटस को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया था किन्तु वादपत्र अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हो जाने से स्थगन प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 जा0दी0 पेश करना आवश्यक हुआ था जिसे अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से स्वीकार किया है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधी0न्याया0 के आदेश का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम धारा 5 मियाद अधि0 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । न्यायहित में अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हे कि मूल वाद दिनांक 20.6.2018 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हो चुका है जिसको नंबर पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 जा0दी0 पेश किया । उक्त प्रार्थना पत्र के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 जा0दी0 प्रस्तुत किया गया जिस पर दिनांक 14.3.2019 को विचारण न्यायालय द्वारा मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश पारित किये है । प्रार्थना पत्र स्थगन अंतर्गत धारा 151 जा0दी0 पर दिये गये आदेश के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष अपील संधारण योग्य नहीं है । जहां तक अपीलांट का यह तर्क कि मूल वाद नंबर पर नहीं आया है इसलिये प्रार्थना पत्र धारा 151 जा0दी0 चलने योग्य नहीं था । उक्त बाबत् अपीलांट अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित होकर चाराजोही कर सकता है किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील संधारण योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है । न्यायहित में विचारण न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वे उनके समक्ष विचाराधीन प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 जा0दी0 सपठित धारा 151 जा0दी0 व मूल प्रार्थना पत्र का भी 30 दिवस में उभयपक्ष को सुनकर आवश्यक रूप से निस्तारण करे ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

9. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.3.2019 यथावत् रखा जाता है । न्यायहित में विचारण न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वे उनके समक्ष विचाराधीन प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 जा0दी0 सपठित धारा 151 जा0दी0 व मूल प्रार्थना पत्र का भी 30 दिवस में उभयपक्ष को सुनकर आवश्यक रूप से निस्तारण करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 24.9.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर